न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2,लखीमपुर खीरी।
सत्र वाद संख्या–80/2011
सरकार बनाम कलीम आदि

अपराध सं0–44 सन 2001
धारा–308,323,504 भा0दं0सं0
थाना–फूलबेहड़ जिला–खीरी।

दिनांक 03–12–2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त समीम उर्फ छोटकन्न की ओर से प्रार्थना पत्र 101 ख प्रार्थना पत्र अं0धारा–311 दं0प्र0सं0 वास्ते तलब किये जाने साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार, फार्मासिस्ट एंव पी0डब्लू0–5 नन्द लाल यादव, उपनिरीक्षक इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार से जिरह नही की गयी अतः जिरह निल लिखते हुये जिरह निल की गयी तथा पी0डब्लू05 उपनिरीक्षक नन्द लाल यादव विवेचक से भी प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति व स्थगन प्रार्थना पत्र न देने के कारण जिरह निल की गयी। धारा–308 जेसे गंभीर अपराध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार, फार्मासिस्ट एंव पी0डब्लू0–5 नन्द लाल यादव, उपनिरीक्षक से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किये जाने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि प्रार्थी के साथ घोर अन्याय एंव नैसर्गिक न्याय व समन्यायी सिद्धान्त के विपरीत है तथा संविधान में प्रदत्त निष्पक्ष न्याय के सिद्धान्त को विफल करता है। अतः न्यायहित में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार, फार्मासिस्ट एंव पी0डब्लू0–5 नन्द लाल यादव, उपनिरीक्षक से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना न्यायहित में तर्कसंगत है। अतः उपरोक्त साक्षियों को पुनः प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा गया कि प्रकरण अति प्राचीन वर्ष 2001 का है। अभियुक्त द्वारा मात्र विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः निरस्त करने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

दं0प्र0सं0 1973, की धारा 311 में यह प्रावधान वर्णित है कि **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जॉच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2001 का है, प्राचीन वाद की श्रेणी में है तथा वास्ते अभिलिखित किये जाने बयान अं0धारा–313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर लंबित है। पत्रावली में साक्षी पी0डब्लू04 अनिल कुमार फार्मासिस्ट का साक्ष्य दिनांक 15.07.2025 को अंकित किया गया जिसमें सहअभियुक्त कलीम के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है तथा अभियुक्त शमीम की तरफ से जिरह न किये जाने के कारण जिरह निल किये जाने का अंकन है तथा साक्षी पी0डब्लू05 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नन्दलाल यादव का साक्ष्य दिनांक 30.10.2015 को अंकित किया गया इस साक्षी से भी अभियुक्त कलीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है परन्तु अभियुक्त शमीम उर्फ छोटकन्न के विद्वान अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नही आये और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया जिस कारण जिरह निल की गयी।

अभियुक्त शमीम उर्फ छोटकन्न द्वारा प्रार्थना पत्र 101ख प्रस्तुत कर साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार, फार्मासिस्ट एंव पी0डब्लू0–5 नन्द लाल यादव, उपनिरीक्षक को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है।

मामले के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिये साक्षी पी0डब्लू04 अनिल कुमार व पी0डब्लू05 नन्द लाल यादव को तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूकिं प्रकरण अति प्राचीन है तथा साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार, फार्मासिस्ट जो कि सरकारी कर्मचारी है जिनके साक्ष्य हेतु न्यायालय में बार बार उपस्थित आने से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है एंव पी0डब्लू0–5 नन्द लाल यादव, उपनिरीक्षक जो कि सेवानिव्त्त हो कर अपने गृह जनपद आजमगढ़ जो कि मुख्यालय से लगभग 400 किमी की दूरी पर है,निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में साक्षी पी0डब्लू04 अनिल कुमार फार्मासिस्ट का एक दिवस का वेतन तथा पी0डब्लू05 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नन्द लाल यादव जो अपने गृह जनपद आजमगढ से आयेगे उनका आने जाने का खर्चा मु0 2000/रूपये न्यायालय में जमा करने पर प्रार्थनापत्र 101 ख स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्तानुसार प्रार्थनापत्र 101 ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त शमीम उर्फ छोटकन्न को आदेशित किया जाता है कि वह साक्षी पी0डब्लू04 अनिल कुमार फार्मासिस्ट का एक दिवस का वेतन तथा पी0डब्लू05 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नन्द लाल यादव जो अपने गृह जनपद आजमगढ से आयेगे उनका आने जाने का खर्चा मु0 2000/रूपये न्यायालय में जमा करने पर उपरोक्त् साक्षीगण जिरह हेतु जरिये समन तलब हो। अभियुक्तगण नियत दिनांक 10.12.25 को उपस्थित हो।

(राजेश्वरी टोलिया)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–2
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by RAJESHWARI TOLIA
Date: 2025.12.03 09:07:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court